रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 मई, 1989/16 वैशाख, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

FINANCE DEPARTMENT

(PAY REVISION SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 26th April,* 1989

No. Fin (C) B (7) 6/88.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the scales of pay of the Teaching personnel of Himachal Pradesh State Indira Gandhi Medical College and

its allied institutions on the pattern of the University Grants Commission with effect from the 1st January, 1986 as per detailes given below:—

Designation of posts		Existing scale	Revised U.G.C. scale
1		2	3
1. Professor	(28)	1500—2500 +N.P.A.	4500—7300 +N.P.A.
2. Associate Professor	(25)	1200—1900 +Rs. 100/-S.P. +N.P.A.	3700—5700 +N.P.A.
3. Assistant Professor	(32)	1200—1900 +N.P.A.	3700—5700 +N.P.A.
4. Senior Blood Transfusion Officer-*cum*-Asstt. Professor Blood Transfusion.	(1)	1200—1900 +N.P.A.	3700—5700 +N.P.A.

2. The pay fixation benefit in the revised scales of pay shall be according to the U.G.C. pattern and as such the benefit of Proficiency step-up (PROP) as per separate State Government instructions will not be available to the Teaching staff whose scales of pay have been revised as above. Similarly, the related instructions of the U.G.C. regarding minimum qualifications, appiontments, advance increments on acquiring higher qualifications, placement in Senior Scale/Selection Grade etc. shall *not apply* as only the U.G.C. pay structure is being followed.

3. No Non-Practising Allowance is to be allowed to the Non-Medical Teachers. Provisions of Himachal Pradesh (C.S.) Revised Pay Rules, 1988 and instructions/clarifications issued thereunder will not apply to categories of officers listed above.

4. The amount of the arrears on account of revision of scales of pay on the pattern of U.G.C. scales with effect from the 1st January, 1986 upto the 31st August, 1987, shall be credited to the General Provident Fund Accounts of the Government employees; such credits being deemed to have been made on the 1st September, 1987. Where an employee is not eligible to subscribe to the General Provident Fund, the amount of arrears shall be invested in the purchase of the National Saving Certificates from post offices in the State of Himachal or invested in the National Saving Scheme in the State of Himachal at the option of the employee concerned. The National Saving Certificates shall be purchased by the Disbursing Officers in the name of the employee concerned and shall be handed over to the latter. However, the arrears below Rs. 100/- in a particular case, if any, may be paid in cash and where these are above rupees one hundred these may be invested in the National Savings Certificates after rounding them off downwards to the nearset multiple of rupees fifty.

[*Illustration*:— (*i*) In a case where arrears are Rs. 73/- the entire amount may be paid in cash, (*ii*) in case the arrears amount to Rs. 473, National Saving Certificates worth Rs. 450/- only are required to be purchased; the balance of Rs. 23/- shall be paid in cash].

The Administrative Department will consider to make amendments in the service rules in pursuance of the revision of scales of pay, where-ever required.

By order,
M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-*Secretary* (*Finance*).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 अप्रैल, 1989

संख्या एल0 एल0 आर0-बी0 (14) 4/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक वर्ग-3 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (वर्ग-3 अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1989 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
2. पदों की संख्या	7 (सात)
3. वर्गीकरण	वर्ग-3 (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	510—880 रुपये
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	18 से 32 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले से सरकार की सेवारत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक्वय हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे

	पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी-वृन्द को नहीं दी जायेगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये हैं/किये गये थे । टिप्पण–1.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं । 2.––अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	आवश्यक : (1) मैट्रिक, और (2) अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति	अभियोजन विभाग में आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका ग्रेड में (31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा को

(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों, कीनिया, युगांडा, युनाइटिड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तान्गानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी द्वारा, जिस के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, पद पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन — सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन-मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों में या नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,
राज कुमार महाजन,
सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

या स्थानांतरण किया जाएगा ।	सम्मिलित करके) तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभाग/अर्ध-सरकारी संगठनों में से, जो उपर्युक्त स्तम्भ 7 में, विहित आवश्यक अर्हताएं रखते हों, उनमें से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
	टिप्पण 1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा-विहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी :—
	(क) उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति, सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-83 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल कर के) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे । परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए : परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।
	(ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी : परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को गिनती में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरिवर्तित रहेगी ।
	(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गिनती में नहीं ली जाएगी ।
	टिप्पणी 2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, पुनरीक्षित किए जाएंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :— (क) भारत का नागरिक, या